News item/letter/article/editorial published on 1/6/17 in the

| | | |
|---|---|---|
| Hindustan Times | Nav Bharat Times (Hindi) | M.P.Chronicle |
| Statesman | Punjab Keshari (Hindi) | Aaj (Hindi) |
| The Times of India (N.D.) | The Hindu | Indian Nation |
| Indian Express ✓ | Rajasthan Patrika (Hindi) | Nai Duniya (Hindi) |
| Tribune | Deccan Chronicle | The Times of India (A) |
| Hindustan (Hindi) | Deccan Herald | Blitz |

and documented at Bhagirath(English) & Publicity Section, CWC.

# When 2 rivers are legally living persons: some rights, some questions

SOWMIYA ASHOK

ON MARCH 20 this year, Uttarakhand High Court declared that the rivers Ganga and Yamuna would be legally treated as "living people," and as such, would enjoy "all corresponding rights, duties and liabilities of a living person."

Five days earlier, for the first time in the world, a river in New Zealand, the Whanganui, was granted legal rights as a human being. It was a culmination of over a decade-long effort by the local Maori tribe. "The reason we have taken this approach is because we consider the river as an ancestor and always have," the lead negotiator for the Whanganui iwi (tribe) told *The Guardian*.

In India, a division bench comprising Justice Alok Singh and Justice Rajiv Sharma, while adjudicating on a land acquisition case, observed that apart from a spiritual connect that Hindus share with the two rivers, the Ganga and Yamuna are central to the existence of half of the Indian population.

"The rivers have provided both physical and spiritual sustenance to all of us from time immemorial... They support and assist both the life and natural resources and health and well-being of the entire community. Rivers Ganga and Yamuna are breathing, living and sustaining communities from mountains to sea," the bench opined.

For judicial purposes, living persons are "juristic persons"—any subject matter other than a human being — to which the law attributes personality for good and sufficient reasons. In other words, "for a bigger thrust of socio-political-scientific development, evolution of a fictional personality to be a juristic person becomes inevitable."

Citing precedents [1969 (1) SCC 555 of *Yogendra Nath Naskar v. Commission of Income Tax, Calcutta*] in which Hindu idols have been considered as a "juristic entity capable of holding property and of being taxed," the division bench of Uttarakhand High Court, noted that with the development of society where the "interactions of individuals fell short to upsurge the social development, the concept of juristic person was devised and created by human laws for the purposes of the society."

The bench cited Articles 48 (A) — the state's responsibility with respect to environment protection — and Article 51 A (g) — the fundamental duties of every citizen to protect and improve the natural environment — as grounds to pass such a judgment.

(Left) The Ganga, one of two rivers accorded legal status as living persons; (above) the Whanganui river is sacred to the Maori tribe. *File/Neeraj Priyadarshi; Wikimedia*

There is though a fundamental difference between New Zealand's recognition of their third largest river as a living entity and that of Uttarakhand High Court according the status to two of India's prominent rivers. It has led to questions being raised by various stakeholders here.

It pertains to the custodians appointed to act on behalf of the rivers. New Zealand has crown and one from the Whanganui iwi tribe itself. In India, the three custodians are solely government authorities: the chief secretary of the state of Uttarakhand, the advocate general of the state of Uttarakhand and the director of the National Mission for Clean Ganga (NMCG).

These three, the bench noted, will serve as "the human face to protect, conserve and preserve the rivers and their tributaries" and the ceedings to protect the interest of the rivers.

Simply put, the conceptual and practical implication of the judgment is that it makes it easier for the three chosen authorities to take action against those who pollute the river.

Activists point to the the lack of local representatives as custodians of the rivers and say that the judgment instead allows the polluter—which in several instances is

"We think the judgment is actually directed just at policymakers and not the larger public," Mallika Bhanot from Ganga Avahan, an NGO working for the conservation of Ganga, said. "The state of Uttarakhand should not be made custodians, they should be held responsible."

The Uttarakhand government too is seeking clarity on the March 20 order. It recently said that it plans to approach the Supreme Court in this regard. The state government contends that since the river flows through five states, it could lead to "technical, geographical and administrative issues" in the implementation of the order. How can the chief secretary of Uttarakhand be held accountable if the river is polluted in West Bengal, Bihar, Jharkhand or Uttar Pradesh, the state wants to know.

And two months after the order, the office of another of the custodians, the National Mission for Clean Ganga, has sought legal advice from the law ministry. "We want to know what implications it has for us?," an NMCG official said, adding the file has been stalled since the matter is sub-judice. The Ministry of Water Resources might extend this order to examine all other rivers in India

News item/letter/article/editorial published on 1.6.17 in the

Hindustan Times
Statesman
The Times of India (N.D.)
Indian Express
Tribune
Hindustan (Hindi) ✓
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu
Rajasthan Patrika (Hindi)
Deccan Chronicle
Deccan Herald
M.P.Chronicle
A a j (Hindi)
Indian Nation
Nai Duniya (Hindi)
The Times of India (A)
Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

# स्थानीय भागीदारी में छिपा है जल संकट का निदान

हिं 1-6-17

**बुंदेलखंड के कुछ गांवों में जल-पंचायतों व जल-सहेलियों से स्थानीय भागीदारी बढ़ाने में काफी सफलता मिली है।**

भारत डोगरा
सामाजिक कार्यकर्ता

जिस तरह हमारे देश के अनेक गांवों और बस्तियों से जल संकट के समाचार आ रहे हैं, उसी तरह विश्व स्तर पर भी इससे जुड़े बहुत गंभीर समाचार मिल रहे हैं। जब से तापमान के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं या दर्ज किए जा रहे हैं, तब से अब तक पिछले 17 वर्षों में से 16 साल सबसे गरम दर्ज किए गए हैं। इसके कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे चाहे अल्पकाल में नदियों में अधिक पानी आए, पर लंबी अवधि में इससे कई नदियों का पानी बहुत कम हो जाएगा। इससे सर्वाधित प्रभावित होने वाले देशों में भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान भी हैं।

दुनिया के अनेक देश शहरीकरण और औद्योगीकरण के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें ग्रामीण समुदायों व कमजोर वर्गों के लिए जल संकट तेजी से बढ़ सकता है। विभिन्न निर्माण कार्यों के जरिये जल की बड़ी मात्रा को इस तरह मोड़ा जा सकता है, जिससे अपेक्षाकृत कमजोर और असंगठित समूहों के जल-संसाधन या जल-आधारित आजीविकाएं तेजी से कम हो जाएं। इसके कारण कई स्तरों पर असंतोष बढ़ सकता है। यदि इस तरह के बदलाव विभिन्न देशों की सीमाओं के आर-पार होते हैं, तो इससे विभिन्न देशों में टकराव व यहां तक कि युद्ध की आशंका बढ़ सकती है। इस लिहाज से पश्चिम एशिया को सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जा रहा है, इसके साथ ही दक्षिण एशिया के कुछ इलाके भी संवेदनशील हैं। हम इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकते कि जिस समय जल-संकट अपने चरम पर होता है, उस वक्त लोगों की भावनाओं को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है, फिर चाहे वे एक ही देश के लोग क्यों न हों। इसलिए बातचीत व समझौते से कोई संतोषजनक राह निकालने की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर देनी चाहिए।

जितना पानी जीवन के लिए जरूरी है, उसकी उपलब्धता सभी के वास्ते सुनिश्चित करने को उच्च प्राथमिकता देने की जरूरत है। इसके लिए सावधानी से नियोजन करना होगा। विश्व के अनेक देशों में पानी के निजीकरण की बहुत सी योजनाएं तेजी से सामने आ रही हैं। इस स्थिति में इस बात की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो समाज के सबसे कमजोर तबके के लोग हैं, वे जीवन की इस सबसे बुनियादी जरूरत यानी पानी के अधिकार के मामले में पीछे न धकेले जाएं।

प्रायः जल-संकट के समाधान में पशु-पक्षियों की जरूरत पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। मगर जल-संकट के संदर्भ में कृषि व डेयरी क्षेत्र से जुड़े मवेशियों के साथ-साथ अन्य पशु-पक्षियों की जरूरत पर भी ध्यान देना जरूरी है। कई बार देखा गया है कि वनों में जल स्रोतों के सूखने के कारण पानी की तलाश में जंगली पशु आस-पास के गांवों में घुसकर उत्पात मचाने लगते हैं। अतः जंगली पशु-पक्षियों व आस-पास की आबादी के नजरिये से भी वन क्षेत्र में जल संरक्षण पर ध्यान देना होगा।

हमारे देश में जो क्षेत्र जल-संकट की दृष्टि से खासे संवेदनशील हैं- जैसे बुंदेलखंड, तमिलनाडु-कर्नाटक सीमा और राजस्थान के कुछ क्षेत्र- उनके लिए विशेष योजना जन-भागीदारी से बनानी चाहिए, जिनमें स्थानीय परंपरागत ज्ञान का उचित उपयोग किया जा सके। ऐसा अनेक उदाहरणों से स्पष्ट हुआ है कि जल संरक्षण व संग्रहण के मामले में अधिकांश क्षेत्रों का परंपरागत ज्ञान काफी समृद्ध है। बुंदेलखंड के कुछ गांवों में हाल के वर्षों में जल-पंचायतों के गठन व जल-सहेलियों के चयन से स्थानीय भागीदारी बढ़ाने में सफलता मिली है। इस तरह के प्रयासों को और बढ़ावा मिलना चाहिए। परंपरागत जल-स्रोतों, विशेषकर तालाबों पर दबंगों के अतिक्रमण व कब्जे को रोकना चाहिए। इस बारे में वैसे तो अदालत के निर्देश व शासनादेश जारी होते रहे हैं, फिर भी कई बड़े तालाबों के बारे में पता चला है कि अतिक्रमण के कारण उनके जलग्रहण क्षेत्र को बहुत क्षति पहुंच रही है।

**जल संरक्षण और संग्रहण के मामले में परंपरागत ज्ञान काफी समृद्ध है। इसका लाभ उठाने की जरूरत है।**

पेयजल को उच्च प्राथमिकता देते हुए इसके लिए पर्याप्त संसाधन की व्यवस्था बजट में की जानी चाहिए। कमजोर वर्ग की जरूरतें उपेक्षित न हों, इसके लिए जल-संरक्षण कार्यक्रमों को समावेशी बनाना होगा। दूर-दराज के गांवों में परिवार के लिए पीने के पानी की व्यवस्था में महिलाएं सबसे अधिक पसीना बहाती हैं। इसलिए जल कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

News item/letter/article/editorial published on 1.6.17 in the

Hindustan Times
Statesman
The Times of India (N.D.)
Indian Express
Tribune
Hindustan (Hindi) ✓
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu
Rajasthan Patrika (Hindi)
Deccan Chronicle
Deccan Herald
M.P.Chronicle
Aaj (Hindi)
Indian Nation
Nai Duniya (Hindi)
The Times of India (A)
Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC

### केंद्रीय अधिकारियों की टीम 5 जून को पटना पहुंचेगी, टीम बक्सर से फरक्का के बीच गाद की समस्या का अध्ययन करेगी

# गंगा नदी में गाद की समस्या के लिए बिहार जाएंगी दो टीमें

हिं-1-6-17

**पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो**

गंगा में गाद की समस्या का अध्ययन करने के लिए दो टीमें बिहार आएंगी। पहली टीम पांच जून को आएगी। इसमें केंद्र सरकार के अधिकारी के साथ आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञ होंगे। दूसरी टीम बिहार सरकार की मांग पर 12 जून को पटना आएगी। विशेषज्ञों की इस दूसरी टीम में अधिकारी नहीं होंगे।

जल संसाधन मंत्री ललन सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अधिकारियों की टीम पांच जून को पटना आएगी। यह टीम बक्सर से फरक्का के बीच गंगा में गाद की समस्या का अध्ययन करेगी। दूसरी टीम 12 जून को पटना आएगी। इस टीम में जल विशेषज्ञ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, डॉ. जेडी अग्रवाल, सुप्रमी कोर्ट के सेवानिवृत्त जज गोपाल गौरा, आईआईटी कानपुर के प्रो. राजीव सिंह, सुप्रीम कोर्ट के वरीय वकील संजय पारी और जल विशेषज्ञ राजेन्द्र सिंह शमिल होंगे।

### मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था

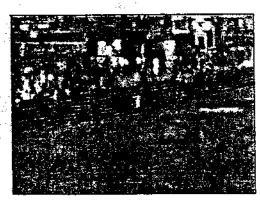

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 मई को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर गंगा में गाद की गंभीर होती जा रही समस्या का अध्ययन कराने का अनुरोध किया था। इससे पहले उन्होंने इस मसले पर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था।

## गंगा सफाई पर फैसला सुरक्षित

**नई दिल्ली।** एनजीटी ने बुधवार को गंगा सफाई के दूसरे चरण पर फैसला सुरक्षित कर लिया। एनजीटी अब हरिद्वार से उन्नाव तक नदी को स्वच्छ एवं साफ किए जाने के मसले पर केंद्र और यूपी सरकार को आदेश जारी करेगा।

गंगा सफाई पर पर्यावरणविद् एमसी मेहता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में करीब 32 साल पहले एक जनहित याचिका दाखिल हुई थी। इसे 2014 में एनजीटी स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद एनजीटी ने गंगा सफाई मामले को चार भागों में बांट दिया था। एनजीटी 2500 किलोमीटर लंबी गंगा की सफाई पर केंद्र, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत सभी के पक्ष सुनेगा।

### सुनवाई

- केंद्र और यूपी सरकार को आदेश जारी करेगा एनजीटी
- गंगा सफाई के दूसरे चरण पर सभी पक्षों की दलीलें पूरी